न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त कटारा ,आर0ए0एस0,
मुकदमा नंबर 94 / 2018

तारीख रजू 11–10–2018

उनवान

1–शिवचरण पुत्र हिराचन्द जाति मीना निवासी खेडला की झोपडी ग्राम खेडला जिला करौली
–वादी

बनाम

1–रामराज पुत्र केसरा जाति मीना निवासी धमूणखुर्द तहसील व जिला , सवाई माधोपुर
2–कैलाशीदेवी पत्नि मुरारीलाल जाति मीना निवासी धमूणखुर्द तहसील व जिला , सवाई माधोपुर
3–बदरी पुत्र फत्या जाति मीना निवासी धमूणखुर्द तहसील व जिला , सवाई माधोपुर
4–लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सवाई माधोपुर

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र ,तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषक

1–श्री राजकुमार कुर्मी ,वकील –वादी
2–श्री रविशंकर नागर,वकील– प्रतिवादी सं01
3–श्री हरिकेश मीना, वकील प्रतिवादी सं03

निर्णय **दिनांक :15.01.2019**

पत्रावली पेश हुई । बहस वकील वादी सुनी गई । प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.12.18 को दावा प्राथमिकरूप से डिक्री होने के पश्चात् आज दिनांक तक जवाब दावा भी प्रस्तुत नही किया है । दावा प्राथमिक रूप से डिक्री होने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर ने वाके ग्राम धमूणखुर्द तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 186 में अंकित खसरा नंबर 1392 / 2050 रकबा 0.12है0 में 1 / 3 हिस्सा ,खाता संख्या 109 में में खसरा नंबर 1393 रकबा 0.25है0 में से 1 / 2 हिस्सा, एवं खाता संख्या 177 में अंकित खसरा नंबर 1393 / 2118 रकबा 0.24 है0 में से 1 / 2 हिस्सा राजस्व जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज है । वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत करके मुताबिक कब्जा कास्त तकासमा किया जाकर सेपरेट राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज किये जाने बाबत अनुरोध किया है । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगणो द्वारा दिनांक 25–10–18 को वकालतनामा प्रस्तुत करने के पश्चात् आज दिनांक तक किसी तरह की जवाबदेही भी प्रस्तुत नही की है । साथ ही दिनांक 24–12–18 को प्राथमिक डिक्री के आदेशानुसार तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत तकासमा स्कीम (कुर्रेजात)का अवलोकन किया गया । तहसीलदार सवाई माधोपुर ने वादी का भौतिक कब्जा हाल खसरा नंबर 1393 / 2118 रकबा 0.24है0, खसरा नंबर 2150 / 1393 रकबा 0050है0 ,खसरा नंबर 2151 / 1393 रकबा 0.04है0 पर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दर्शाया है ... स्कीम के कुर्रेजात ...
उपरोक्त तकासमा स्कीम के कुर्रेजात ... इसलिये तहसीलदार ...
स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । इसलिये तहसीलदार ... संख्या
प्रेषित तकासमा स्कीम दिनांक 27–12–18 के आधार पर वाकेग्राम धमूणखुर्द के खाता संख्या
177 में अंकित खसरा नंबर 1393 / 2118 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 186 में अंकित खसरा
नंबर 1392 / 2050 रकबा 0.12है0, में से रकबा 0.0050 है0, खाता संख्या 109 में अंकित
खसरा 1393 रकबा 0.25है0 में से मिन नंबर 2151 / 1393 रकबा 0.04है0 कुल किता 3 रकबा
0.33है0 का रिकार्डेड खातेदार घोषित किया जाकर वादी के नाम से तकासमा किया जाता है
,एवं सहखातेदार बदरी पुत्र फत्या के नाम से खसरा नंबर 1393 रकबा 0.25है0 मे से रकबा 0.
2450है0 ,एवं प्रतिवादी रामराज पुत्र केसरा के नाम से खसरा नंबर 1393 / 2050 रकबा 0.
12है0 में से 0.08है0 का इन्द्राज मुताबिक तकासमा स्कीम (कुर्रेजात)दिनांक 27–12–18 के
अनुसार वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है है । तकासमा स्कीम
दिनांक 27–12–18 निर्णय का जुज रहेगा । तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15–01–19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उप जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर